**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3640**

**दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**
**श्रीअन्न का निर्यात**

**3640. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:**
क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश से श्रीअन्न के निर्यात को सुविधाजनक बनाने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय कार्यान्वित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश के अलग-अलग राज्यों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से श्रीअन्न के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है,
(घ) क्या सरकार श्रीअन्न की खपत के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा वैश्विक बाजार में श्रीअन्न की पहुँच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क), (ख), (घ) और (ड.): भारत से श्रीअन्न के निर्यात को सुविधाजनक बनाने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। वाणिज्य विभाग ने एपीडा के माध्यम से श्रीअन्न के बारे में जागरूकता, उपयोग और निर्यात संवर्धन के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और श्रीअन्न सम्मेलन का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईओएम **2023**) के तहत, वाणिज्य विभाग द्वारा एपीडा के माध्यम से भारतीय दूतावासों/मिशनों और सरकारी विभागों के सहयोग से कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, सैपलिंग कार्यक्रमों, श्रीअन्न दीर्घाओं, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में श्रीअन्न थीम वाली भागीदारी शामिल थी। प्रमुख व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मिलेट-श्री अन्न के संवर्धन और ब्रांडिंग के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान भी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था।

इसके अलावा, श्रीअन्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, श्रीअन्न के मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जा रही है और खाद्य क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्ट-अप्स को श्रीअन्न की रेडी-टू-ईट (आरटीई) और रेडी-टू-सर्व (आरटीएस) श्रेणी में मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास और निर्यात के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है। श्रीअन्न और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, श्रीअन्न निर्यात की आसान अनुरेखण और निगरानी के लिए श्रीअन्न और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अलग एचएस कोड बनाए गए हैं।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) **28** राज्यों और **2** केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत पोषक अनाज पर एक उप-मिशन लागू कर रहा है ताकि मिलेट (श्रीअन्न) के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू कर रहा है और योजना का एक घटक श्रीअन्न आधारित उत्पादों के लिए है जिसे वित्त वर्ष **2022-23** से वित्त वर्ष **2026-27** तक लागू किया जा रहा है। श्रीअन्न आधारित उत्पादों के लिये पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में श्रीअन्न के उपयोग को बढ़ाना और इसके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों को चयनित श्रीअन्न-आधारित उत्पादों के निर्माण और घरेलू और निर्यात बाजारों में उनकी बिक्री को प्रोत्साहित करने के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है।

**(ग):** भारत ने वर्ष **2023-24** में वैश्विक बाजार में **59** मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के **132985** मीट्रिक टन श्रीअन्न का निर्यात किया। शिपिंग बिलों में निर्यातकों द्वारा स्टेट ऑफ ओरिजिन कोड की रिपोर्टिंग के आधार पर राज्य-वार निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

| भारत का राज्यवार श्रीअन्न निर्यात | | | |
|---|---|---|---|
| राज्य | कीमत | | मात्रा मीट्रिक टन में |
| | मिलियन अमरीकी डॉलर | करोड़ रूपये | |
| गुजरात | 20.0 | 166 | 46422 |
| महाराष्ट्र | 9.2 | 76 | 21146 |
| राजस्थान | 5.8 | 48 | 16185 |
| तेलंगाना | 4.9 | 40 | 5625 |
| झारखंड | 3.9 | 33 | 11108 |
| आंध्र प्रदेश | 2.9 | 24 | 7329 |
| पंजाब | 2.5 | 21 | 4040 |
| पश्चिम बंगाल | 2.3 | 19 | 7230 |
| कर्नाटक | 2.1 | 17 | 3518 |
| तमिलनाडु | 1.2 | 10 | 1233 |
| अन्य राज्य | 4.1 | 33.6 | 9148.9 |
| कुल | 59 | 489 | 132985 |

स्रोत: डीजीसीआईएस

*****